

संख्या- 27/07/2011-एस.आर.एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 29/04/2011

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।

विषय: दाम्पत्य नीति से संबंधित प्रकरणों पर राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 14 फरवरी, 2011 को आयोजित बैठक में विचार ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहना का निदेश हुआ है कि राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 14 फरवरी, 2011 को आयोजित बैठक में विचारोपरांत दाम्पत्य नीति से आच्छादित न होने के कारण समिति ने संलग्नक में उल्लिखित कार्मिकों के अभ्यावेदनों को अस्वीकृत करने की सिफारिश की है । विस्तृत ब्यौरा संलग्नक पर है ।

समिति द्वारा इन मामलों में जो संस्तुतियों की गईं उन्हें भारत सरकार द्वारा दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत मान लिया गया है । संलग्नक में नामित कार्मिकों के उत्तराखण्ड राज्य में बनाये रखने का निर्णय लिया गया है ।

कृपया संबंधित अधिकारियों को इन निर्णयों से अवगत करा दिया जाए ।


भवदीय,
[Signature]
(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति:-

1. श्री आर.एम. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
2. प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून ।

संलग्नक

2 कार्मिकों की सूची



दाम्पत्य नीति के आधार पर राज्य परामर्शीय समिति की 14 फरवरी, 2011 की बैठक में उ.प्र. पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 04-02-2009 सपटित दि. 06-03-2009 व दिनांक 06-07-2009 से आच्छादित होने के कारण अस्वीकृत प्रत्यावेदन

(अ)- माध्यमिक शिक्षा विभाग

क्रमांक	कार्मिकों का नाम/ पदनाम/ तैनाती	नियुक्ति तिथि	पत्नी का नाम/ पदनाम/ तैनाती	नियुक्ति तिथि	समिति की संस्तुति
1					
1	श्री इन्द्रमणि तिवारी, सहायक अध्यापक, जीव विज्ञान राजकीय इण्टर कॉलेज, बानना, अल्मोड़ा	03.04.1991 तदर्थ/ विनियमित	श्रीमती मनीषा तिवारी, आगनवाड़ी कार्यकर्त्री, महिला एवं बाल विकास परियोजना, उत्तर प्रदेश,	16.01.1992 रु0 1700/- प्रतिमाह मानदेय पर	पत्नी के नियमित रूप से नियुक्त न होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
3	श्री अनूप कुमार, सहायक अध्यापक, राजकीय इन्टर कालेज, घाट, चमोली,	23.09.1995	श्रीमती गीता यादव, सहायक अध्यापिका, राजमाता वैष्णवी जूदेव इन्टर कालेज, जालौन, उत्तर प्रदेश।	06.01.2005	पत्नी के नियत तिथि 09-11-2000 के बाद नियुक्त होने के कारण समिति द्वारा प्रत्यावेदन को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।

4-1-1-